



અંદ્યારા દ્વિતીય

સંબંધિત સાહિત્ય કા
પુનરાવલોકન

द्वितीय अध्याय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना-

साहित्य का पुनरावलोकन प्रत्येक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। शोधकार्य के अंतर्गत साहित्य का पुनरावलोकन एक प्रारंभिक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्याख्या की जानेवाली समस्या की पूरी तस्वीर प्रकट करता है।

संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार के पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र- पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी-अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, उद्देश्य, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। उसके अभाव में उचित दिशा में अनुसंधान को नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक उसे ज्ञान न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है? किस विधि से कार्य किया गया है तथा इससे क्या निष्कर्ष आये? तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही इस दिशा में सफल हो सकता है।

गुडवार तथा स्केटेस् कहते हैं— “एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधी संबंधी आधुनिकतम् खोजों से परिचित होता रहे, उस प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र में संबंधित सूचनाओं से परिचित होना आवश्यक है।”

2.2 संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से लाभ-

संबंधित साहित्य की समीक्षा अनुसंधानकर्ता को किस क्षेत्र में वह अनुसंधान करने वाला है, उसमें वर्तमान ज्ञान से परिचय कराती है, तथा निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण करती है-

1. संबंधित साहित्य की समीक्षा से अनुसंधानकर्ता को अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है।
2. जो अनुसंधान कार्य पहले अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जा चुका है वह पुनः किया जा सकता है।
3. ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात हो कि ज्ञान की वर्तमान सीमा कहाँ पर है, वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात् ही कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. पूर्व अनुसंधानों के अध्ययन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है।
5. परिकल्पना को लागू करने तथा अनुसंधान की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता मिकटी है।
6. शोध विधियों तथा व्यादर्श चयन करने में सहायक होता है।
7. सत्यापन करने के लिए कुछ अनुसंधानों को नवीन दिशाओं में अनुसंधान की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन का अनुसंधान में बहुत महत्व है।

2.3 पूर्व शोध का ऑकलन-

अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्व में “शारीरिक दण्ड” विषय को समस्या बनाकर कुछ अनुसंधानकर्ता द्वारा इस विषय पर शोधकार्य किया गया है। उन शोधकार्यों को इस अध्याय में संबंधित साहित्य के रूप में लिया गया है।

Carried out by:, Saath charitable Trust (may, 2006). Impact of corporal punishment on school children: A Research study.

उद्देश्य -

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नांकित हैं-

1. चार राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों के विद्यालयीन छात्रों पर शारीरिक दण्ड की घटनाओं द्वारा होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. आदर्श प्रतिमान के द्वारा फायदेमंद बच्चों का और दण्ड के द्वारा प्रभावित बच्चों से संबंधित व्यक्ति अध्ययन का दस्तावेज तैयार करना।

3. शारीरिक दण्ड पर बच्चों और सत्ताधीकारियों के दृष्टिकोण का संकलन करना तथा बच्चों या अन्यों के द्वारा आरंभ किये गये संभावित समाधानों के देखना।
4. अनुशासन के अलग- अलग प्रतिमानों के द्वारा उसके समूहों तक पहुँचकर शारीरिक दण्ड के परिणाम प्राप्त करना।

प्रतिचयन-

इस अनुसंधान का व्यादर्श निम्नानुसार दर्शाया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आंध्रप्रदेश को चुना गया तथा उसके कुछ जिले व तहसीलों का चयन किया गया। जिसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालयों मेंसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का चुनाव किया गया।

तालिका 2.3.1

The Study Coverage : Stake Holders Types

Stake holders groups	Uttar pradesh	Bihar	Rajasthan	Andhra Pradesh	Total
School children	232	312	370	383	1297
Children's forum members	075	073	...	146	0294
Case study children	005	005	005	033	0048
Teachers	034	053	047	081	0215
Communities forum members	005	024	010	012	0051
Government officials	008	002	003	008	0021
Members of plan's partner NGOS	008	025	015	010	0058
Total	367	494	450	673	1984

इस तालिका के माध्यम से इस अध्याय के प्रतिचयन का स्वरूप स्पष्ट देखने को मिलता है।

उपकरण-

इस अध्ययन के उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए निम्नांकित उपकरणों का आधार लिया गया जो इस प्रकार है-

1. सत्ताधीकारी समूहों के लिए सामाजिक मूल्यों के आधार पर तैयार की गई “कुंजी”।
2. साक्षात्कार।
3. चुने हुए सत्ताधीकारी समूहों के साथ में समूह चर्चा।
4. भूमिका अदा करते हुये कार्य निरीक्षण करना।

मुख्य परिणाम -

दण्ड के मुख्य दो प्रकार होते हैं: शारीरिक और अशारीरिक। इसके मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया गया जिसमें Moderate, High, Severe and Torturous को दर्शाया गया है। इस परिणाम को प्राप्त करने हेतु शारीरिक दण्ड के खोतों को खोजा गया जिसमें घर और शाला शामिल है।

उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और बिहार के कुछ बालकों, अभिभावकों और शिक्षकों पर अध्ययन किया गया जिसमें उनका मानना है कि दण्ड का प्रकार 31% शाला तथा विद्यालय में एक जैसा होता है। 17% दण्ड अन्य प्रकार के दिये जाते हैं। 16% सामान्य प्रकार के दण्ड का विश्लेषण किया गया जो कि घर में दिये जाते हैं, उसमें अशारीरिक दण्ड 31% है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि घर के अंदर बच्चों को अशारीरिक दण्ड 10 बार तथा शारीरिक दण्ड 7 बार दिया जाता है। शाला के अंतर्गत शारीरिक दण्ड ही दिया ज्यादा दिया जाता है कुछ घटकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शाला में बच्चों को 20% ही अशारीरिक दण्ड दिया जाता है। बच्चों को घर पर Moderate प्रकार दण्ड दिया ही नहीं जाता। जबकि उनको High और Torturous प्रकार का दण्ड ही अधिक दिया जाता है। कुल मिलाकर घर में बच्चों को 11 प्रकार के दण्ड दिये जाते हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि घर में ही बच्चों को Moderate प्रकार का दण्ड दिया जाता है। 80% से ज्यादा दण्ड का जो प्रकार है वह Severe और

Torturous प्रकार का होता है। और शाला के अंतर्गत Torturous प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता 41% दण्ड का स्वरूप अन्य प्रकार का होता है।

सह परिणाम-

विभिन्न उपकरणों से प्राप्त सह परिणाम की रूपरेखा निम्नांकित दर्शाई गई है-

1. 41 शाला में सामान्य दण्ड दिया जाता है, बच्चों का कहना है कि वह परिस्थिति घर पर भी है।
2. साक्षात्कार के समय सारे शिक्षकों एवं अभिभावकों को बिलकुल भी हिचकिचाहट नहीं थी कि वह बच्चों को शारीरिक दण्ड देते हैं। उनका मानना है कि अनुशासन को कायम रखने के लिए दण्ड जरूरी है।
3. राजस्थान के एक अभिभावक का मानना है कि बच्चे स्वयं अपने व्यवहार से शिक्षक व अभिभावक को दण्ड देनेके लिए उत्तोषित करते हैं।
4. 20 शालाओं के शिक्षकों के हाथों में डंडी पाई गई जिससे वह छात्रों को मारते हैं।
5. बहुत सारे सामान्य दण्ड के अंतर्गत हाथों पर छड़ी से मारना बालों व कानों को खींचना और वर्ग से बाहर लंबे समय तक खड़ा करना पाया गया।
6. निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्यों ने देखा कि शारीरिक दण्ड में बच्चों को लात मारना, भूखना और कुर्सी से बांधकर मारा जाता है।
7. शाला में शारीरिक दण्ड सामान्य रूप से पाया गया जो कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के रूप में जल्दी ही दिया जाता है। एक दिन में एक वर्ग के अंदर पाँच बार पिटाई होती है।
8. चार राज्यों के कुछ शिक्षकों का मानना है कि बच्चों को दण्ड न देने पर वह अनुशासन का पालन नहीं करते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते।
9. पुराने, नये एवं युवा शिक्षकों का मानना है कि दण्ड के बगैर वर्ग में पढ़ाई नहीं हो सकती।
10. शारीरिक दण्ड के द्वारा बच्चों में डर उत्पन्न होता है।

11. इस सर्वे से पता चला कि गंभीर प्रकार का दण्ड घर से ही दिया जाता है वर्ग में दिये जा रहे दण्ड का स्वरूप इससे कम होता है।
12. बहुत सारे शिक्षक एक सीमा से अधिक दण्ड देने से डरते हैं।
13. इस अध्ययन से ये पता चला कि शिक्षक व अभिभावक लिंगभेद को ध्यान में न रखते हुए दण्ड देते हैं।
14. जो बच्चे माँ के आसपास रहते हैं उन बच्चों को माँ के द्वारा रसोई घर के साधनों से मारा जाता है तथा उनको जलाया जाता है।
15. राजस्थान और आंध्रप्रदेश में बच्चे को लात मारकर फेंक देते हैं, बिना गलती के मारते हैं, उसके पीछे शिक्षक और अभिभावकों की थकान या काम का बोझ पाया गया।
16. 40% से ज्यादा बच्चों का मानना है कि जो काम वो नहीं करना चाहते उसे जबरदस्ती करवा के उनको इस प्रकार दण्ड दिया जाता है।

विशिष्ट परिणाम-

विशिष्ट परिणाम राज्यों के बो में दर्शाया गया है जो निम्नांकित है-

1. उत्तरप्रदेश- शिक्षकों द्वारा बच्चों को डराना, हाथों को जलाकर पीटना, भूखा रखना।
2. आंध्रप्रदेश- डराना, धमकाना और मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर भारी चीज रखकर उसके हिलने पर मारना।
3. राजस्थान- बहुत ही घटिया तरीके से मारना, गले में लाल मिर्च डालकर उनकी पिटाई करना।
4. बिहार- छड़ी से मारना, बच्चों को कुर्सी से बांधकर मारना, भूखा रखना।

शोध निष्कर्ष -

इस अध्ययन का निष्कर्ष बालकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर निकाला गया है जो निम्नानुसार है-

1. दण्ड नहीं मिलता ऐसा घर और विद्यालय कहीं नहीं है क्योंकि सही मूल्यों के लिए शारीरिक दण्ड बहुत जल्दी है।

2. शिक्षकों व अभिभावकों का कहना है कि दण्ड देना हमारा अधिकार है क्योंकि दण्ड न देने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं।
3. शारीरिक दण्ड एक प्रकार का गलत व्यवहार का पुरस्कार है।
4. कानून द्वारा शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी शिक्षक व अभिभावक उसे मानने को तैयार नहीं हैं।
5. $\frac{1}{4}$ बच्चे चाहते हैं कि वे दण्डित न हों बाकी बच्चे इस बात से सहमत नहीं हैं।
6. कुछ बच्चे उवकंतंजम चन्दपौत्रमदज देने के पक्ष में हैं।
7. $\frac{1}{3}$ बच्चों का कहना है कि हम दण्ड के लायक हैं, हमें शाला और घर में दुर्व्यवहार को रोकने हेतु दण्ड देना अधिक आवश्यक है।
8. कुछ बच्चों ने शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगाने पर अपनी असहमति प्रकट की है।

अध्ययन के दोष-

इस अध्ययन में कुछ कमियाँ रह गईं जो निम्नानुसार व्यक्त हैं-

1. जो बच्चे दण्डित हुये हैं जिनमें प्रतिशोध की भावना होती है उन बच्चों को इस अध्ययन में नहीं पाया गया।
2. इस शोध के अंतर्गत ऐसे बच्चे नहीं मिले जिनको बिना गलती के दण्ड मिला हो।
3. कुछ बच्चे अभिप्राय देने को तैयार नहीं थे तथा कुछ बच्चे बहुत छोटे थे जो उसमें भाग नहीं ले पाये।

इस प्रकार संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से यह ज्ञात होता है कि इन शोधकर्ताओं द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक एवं शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के दृष्टिकोण पर शोध कार्य किया गया है। उत्तराखण्ड, आंध्रप्रदेश बिहार और राजस्थान के कुछ स्कूलों पर दण्ड के प्रभाव को अध्ययन किया गया। प्रायः यह देखा गया है कि बच्चों को घर और शाला के अंतर्गत कैसी सजा दी जाती है उसका स्वरूप कैसा

होता है? उस बारे में बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों का क्या अभिप्राय है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम अध्ययन हुए है। इसलिए शोधार्थी ने अनुसंधान कार्य के लिए इस विषय का चुनाव करके माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का दण्ड के प्रति क्या अभिप्राय है यह जानकारी प्राप्त करने हेतु इस पर अध्ययन किया है, जो वर्तमान परिवेश में अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण है।